

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 153 : Taking assistance from an expert

Any officer not below the rank of Assistant Commissioner may, having regard to the nature and complexity of the case and the interest of revenue, take assistance of any expert at any stage of scrutiny, inquiry, investigation or any other proceedings before him.

धारा 153 : किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना

सहायक आयुक्त की पंक्ति से कम का कोई अधिकारी न हो, मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व हित के संबंध का ध्यान में रखते हुए, उसके समक्ष संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या किन्हीं अन्य प्रक्रियाओं के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त कर सकेगा।
